

कार्यालय जिलाधीश, गुरुग्राम।

आदेश

सम्पदा अधिकारी-1, एच0एस0वी0पी0, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 1764 दिनांक 05.04.2019 के द्वारा अनुरोध है कि A programme has been chalked out to remove illegal construction/encroachments from church area, Sector-10 near basai chowk, Gurugram मे अवैध कब्जो को हटाने की कार्यवाही दिनांक 10.04.2019 को प्रातः 11:00 बजे की जानी है। उक्त को मध्यनजर रखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए पुलिस सहायता मय महिला पुलिस प्रदान करने की आवश्यकता है।

अतः मैं, अमित खत्री, भा0प्रा0से0, जिलाधीश गुरुग्राम, सम्पदा अधिकारी-1, एच0एस0वी0पी0, गुरुग्राम के अनुरोध पर जाबता फौजदारी 1973 of (35) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री करतार सिंह, नायब तहसीलदार, एच0एस0वी0पी0(एल0ए0ओ0), गुरुग्राम (9811010907) को दिनांक 10.04.2019 को प्रातः 11:00 बजे के लिए उक्त कार्य के पूर्ण होने तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करता हूँ। ड्यूटी मजिस्ट्रेट Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

हस्ता/-

जिलाधीश, गुरुग्राम।

पू0 क्रमांक 112 / एम0बी0

दिनांक 9/4/19

इसकी एक प्रति निम्न अधिकारियों को भेजकर लिखा जाता है कि उक्त स्थान पर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश (Status quo/Stay order) तो नहीं पारित किया गया है अगर है तो न्यायालय के आदेशों की पालना की जावे तथा नियम अनुसार कार्यवाही करने के लिये सम्बन्धित विभाग की जिम्मेवारी होगी।

1. पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम को भेजकर अनुरोध है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट को 50 पुरुष पुलिस व 30 महिला पुलिस बल प्रदान करने का कष्ट करें।
2. पुलिस उपायुक्त (मु0), गुरुग्राम।
3. सम्पदा अधिकारी-1 एच0एस0वी0पी0, गुरुग्राम।
4. श्री करतार सिंह, नायब तहसीलदार, एच0एस0वी0पी0(एल0ए0ओ0), गुरुग्राम।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गुरुग्राम। (जिला गुरुग्राम की Website पर upload करने बारे)
6. आशुलिपिक उपायुक्त, गुरुग्राम।

कृते:  जिलाधीश गुरुग्राम।
9